प्रेषक,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

सेवा में,

समस्त अपर जिला मजिस्ट्रेट(वित्त एव राजस्व),
पदेन जिला निबन्धक,
उत्तर प्रदेश ।

संख्या 16400-65/चार-412 दिनांक नवम्बर 3, 1995

विषय- रजिस्ट्रीकरण शुल्क की धनराशि सुरक्षित ढंग से सरकारी खजाने में पहुंचाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत है कि शासन की अधिसूचना संख्या एस0आर0 3814/11-95-500(30)/93 दिनांक 15 सितम्बर 1995 द्वारा रजिस्ट्रीकरण शुल्क की संशोधित दरें लागू हो गई है, जिसके फलस्वरूप आपके अधीनस्थ निबन्धन कार्यालयों में रजिस्ट्रीकरण शुल्क की बड़ी धनराशि वसूल/प्राप्त होना सम्भावित है । ऐसी स्थिति में आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि जनपद स्तर जो साधन/व्यवस्था उपलब्ध है उनकी सहायता से यह देख लेवे कि रजिस्ट्रीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त धनराशि सुरक्षित रहे एवं शीघ्रतम सरकारी कोष में नियमानुसार जमा कर दी जाये। आपके स्तर से इस सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाहियों के संन्दर्भ में विशेष रूप से आपका ध्यान निम्नलिखित की ओर आकर्षित करना चाहूगां:-

1- प्रायः सभी निबन्धन कार्यालयों में कैश चेस्ट उपलब्ध करा दिया है। गत वर्ष जितने नये निबन्धन कार्यालय खुले है उन स्थानों के लिए कार्यालय व्यय मद में 10,000/- की धनराशि कार्यालय साज -सज्जा हेतु स्वीकृत की गई है उसी मद से कैश चेस्ट क्रय कर लिया गया होगा। जिन नए कार्यालयों के लिए अभी तक शासन से बजट न प्राप्त होने के कारण उपरोक्त मद में धन आवंटित नही हो सका है वहॉ तत्कालिक आवश्यकता को देखते हुए प्राथमिकता के अधार पर आकस्मिक व्यय से नियमानुसार कैश चेस्ट क्रय किया जा सकता है।

2- रजिस्ट्रीकरण शुल्क की धनराशि को कोषागार / उप कोषागार में जमा कराने हेतु निबन्धन नियमावली के नियम 208 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाय। अर्थात उस स्थान पर जहां रजिस्ट्रीकरण कार्यालय स्थित है यदि कोषागार या उप कोषागार भी स्थित हो तो रजिस्ट्रीकरण कार्यलय में हुई आय को प्रतिदिन ऐसे समय तक कोषागार/ उपकोषागार /भारतीय स्टेट बैंक में जमा कर दिया जायेगा ताकि वह उस दिन के हिसाब में शामिल हो जाये। कोषागार / उपकोषागार/ भारतीय स्टेट बैंक का हिसाब बन्द हो जाने के बाद प्राप्त हुई कुल आय को अगले दिन उस समय तक की आय के साथ,जो कोषागार / उपकोषागार का हिसाब बन्द होने से पहले प्राप्त हुई हो, जमा किया जायेगा। यही क्रम चलता रहेगा। उद्देश्य यह है कि आप उपनिबन्धक से इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करा ले कि कार्यालय बन्द होने के बाद कार्यालय के कैश चेस्ट में न्यूनतम धनराशि हो।

3- यदि किसी समय निबन्धन कार्यालय में अपेक्षा कृत अधिक धनराशि कार्यालय बन्द होने के समय कार्यालय में रह जाती है और वहां चौकीदार की व्यवस्था न हो तों जिला निबन्धक अपने स्तर से जिलाधिकारी से सम्पर्क कर होमगार्डस की व्यवस्था कर सकते है।

4- कोषागार/ उपकोषागार निबन्धन कार्यालय से दूरी पर स्थित होने के कारण आवश्यकतानुसार चपरासी के साथ कार्यालय के एक या दो या अधिक लिपिकों को भी कैश को सुरक्षित रूप से कोषागार में जमा कराने के कार्य हेतु लगाया जा सकता है।

5- रजिस्ट्रीकरण शुल्क की राशि कोषागार/ उपकोषागार ले जाने के पूर्व चपरासी/ लिपिक धनराशि प्राप्त करने के प्रतीक में स्याहा में अपने स्पष्ट हस्ताक्षर अवश्य बनाया करें।

6- नियमित रूप से राजकीय कोष में जमा कराई गई धनराशि का सत्यापन कराया जाता रहे।

7- यह कि आप अपने स्तर से अपने जनपद में उपलब्ध साधनों/ व्यवस्था की सहायता से एवं उप निबन्धकों की सहायता से यह सुनिश्चित कर ले कि सरकारी धनराशि सुरक्षित रहे एवं जल्द से जल्द सरकारी कोष

में जमा हो जाय। इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश अपने स्तर से उप निबन्धकों भी दे देवें।

भवदीय

ह०/–

(आर0एस0वर्मा)

प्रभारी महानिरीक्षक निबन्धन उ0प्र0

इलाहाबाद

संख्या-16465-521/चार-412 दिनांक नवम्बर, 3 1995

प्रतिलिपि-

1- प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन) उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ।

2- समस्त उप/ सहायक महानिरीक्षक निबन्धन उत्तर प्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

ह०/–

(आर0एस0वर्मा)

प्रभारी महानिरीक्षक निबन्धन उ0प्र0,

इलाहाबाद।